

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 738 / 2014

संस्थित दि: 20 / 08 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

सुमनसिंह पिता सौनुसिंह नेताम, उम्र 50 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम दोषीटोला (सुन्दरवाही) थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उर्पापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 03 / 09 / 2014 को उपापित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कुमारी सुनीता नेताम ने आरक्षी केन्द्र बिरसा में दिनांक 28.06.2014 इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिन के 12:00 बजे वह उसके घर के पीछे जंगल में भाजी तोड़ने गई थी। शाम 04:00 घर आई तो उसके छोटे भाई संजू और मंजू ने उसे बताया कि बाबू सुमनसिंह ने दाईबती बाई से झगड़ा किया है। उसने बाबू सुमनसिंह को दाईबतीबाई से लड़ाई झगड़ा करने से मना किया तो उसके साथ भी मारपीट की। शाम को 07:00 बजे दाईबतीबाई और बाबू सुमनसिंह नहीं थे। संजू और मंजू से उसने पूछा तो बताया कि बाबू सुमनसिंह दाईबतीबाई को कही ले गया है। रात को 10:00 बजे ढूँढने पर घर के पीछे 10:00 बजे रात में दाईबतीबाई घायल अवस्था में खेत में मिली। दाईबतीबाई के दांये हाथ से खून निकल रहा था कुछ बोल नहीं रही थी उसकी सास चल रही थी। दाईबतीबाई को उठाकर बाबू सुमनसिंह वाले कमरे में सुलाया। थोड़ी देर बाद बाबू सुमनसिंह आया और गुस्से से बोला कि साली को इतना मारने के बाद भी मारी नहीं और उन्हें भी मारने की धमकी देने लगा। थोड़ी देर बाद दाईबतीबाई की मृत्यु हो गई और बाबू भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 91 / 14 अन्तर्गत धारा 302 भा. दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीयद दण्ड संहिता की धारा 302 का अपराध परिलक्षित होता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।
- (06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर जांच हेतु भेजी गई है।
- (09) प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध होने से उसका कमीटल वारंट जारी कर माननीय सत्र न्यायालय बालाघाट के समक्ष दिनांक **15.09.2014** को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक, उपजेल बैहर को निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट